भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या 14*

(सोमवार, **20** जुलाई, **2026/29** आषाढ़, **1948 (**शक) को उत्तर के लिए)

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

***14.** श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलालः

श्री यदुवीर वाडियारः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), **2016** ने संकटग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए इसके अधिनियमन से पहले मौजूद बहुविध तंत्रों को प्रतिस्थापित करके आईबीसी से पूर्व की अवधि की तुलना में देश की कारपोरेट दिवाला समाधान व्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है,

(ख) विभिन्न मापदंडों, समय-सीमाओं, वसूली दरों, संकटग्रस्त आस्तियों के समाधान, परिसमापन परिणामों और व्यापार करने में सुगमता के संबंध में आईबीसी से पहले और आईबीसी के बाद के दिवाला समाधान ढांचे की तुलनात्मक स्थिति क्या है,

(ग) क्या आईबीसी के कार्यान्वयन से ऋण अनुशासन में सुधार हुआ है, गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) में कमी आई है, ऋणदाताओं के विश्वास में वृद्धि हुई है और कार्यरत कंपनियों के रूप में अर्थक्षम कंपनियों का पुनरुद्धार सुगम हुआ है और यदि हां, तो प्रमुख निष्पादन संकेतकों सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है, और

(घ) क्या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, **2016** से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक संकटग्रस्त आस्तियों का तेजी से समाधान करने और बकाया राशियों की अधिक वसूली करने में सक्षम हुए हैं और यदि हां, तो इसके लागू होने के बाद से निपटाए गए मामलों, वसूली दरों और वसूल की गई राशि का वर्ष-चार ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)
सीतारमण)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के संबंध में माननीय सांसद श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल तथा श्री यदुवीर वाडियार द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2026 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 14 (14वां स्थान) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) निगमित व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों तथा व्यक्तियों के पुनर्गठन तथा शोधन अक्षमता समाधान से संबंधित विधियों का समेकन करती है, ताकि ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य का समयबद्ध रीति से अधिकतमकरण किया जा सके। आईबीसी के अंतर्गत शोधन अक्षमता व्यवस्था के चार प्रमुख स्तंभ स्थापित किए गए हैं, जिनमें भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, निर्धारित न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, सूचना उपयोगिता तथा शोधन अक्षमता पेशेवर शामिल हैं।

(ख): आईबीसी के अधिनियमन से, पूर्व ऐसा कोई एकल कानून नहीं था, जो दिवाला एवं शोधन अक्षमता से संबंधित विषयों का समग्र रूप से विनियमन करता हो। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में दिवाला एवं शोधन अक्षमता से संबंधित उपबंध विद्यमान थे। आईबीसी ने इन सभी बिखरे हुए विधिक उपबंधों का समेकन किया है तथा 31 मार्च, 2026 तक 1,419 कंपनियों का समाधान किया जा चुका है। इन मामलों के परिणामस्वरूप लेनदारों को 4.32 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई है, जो उचित मूल्य का 94.6 प्रतिशत तथा परिसमापन मूल्य का 166.9 प्रतिशत है। आईबीसी ने शोधन अक्षमता समाधान के लिए समयबद्ध एवं पारदर्शी तंत्र उपलब्ध कराकर व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा दिया है तथा निवेशकों के विश्वास एवं ऋण की उपलब्धता में वृद्धि की है।

(ग): भारतीय रिज़र्व बैंक की जून, 2026 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च, 2018 के 11.2 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से घटकर मार्च, 2026 में 1.8 प्रतिशत के निम्नतम स्तर पर आ गया है।

ऋण अनुशासन पर आईबीसी के प्रभाव की पुष्टि भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु द्वारा किए गए एक व्यापक अध्ययन से भी हुई है। अध्ययन में यह पाया गया है कि आईबीसी ने उधारकर्ताओं को ऋण पुनर्भुगतान की निर्धारित समय-सारिणी का पालन करने के लिए प्रेरित

किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अध्ययन में पाया गया कि अतिदेय माने जाने वाले ऋण खातों में, राशि तथा खातों की संख्या, दोनों की दृष्टि से उल्लेखनीय कमी पाई गई है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद की एक रिपोर्ट *(अगस्त, 2023; www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध)* में आईबीसी के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाली कंपनियों के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट में पाया गया कि समाधान के उपरांत ऐसी कंपनियों की लाभप्रदता, तरलता तथा समग्र वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ये निष्कर्ष व्यवसाय की निरंतरता तथा मूल्य संरक्षण पर आईबीसी के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करते हैं।

(घ): आईबीसी के कार्यान्वयन के पश्चात बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों सहित सभी वित्तीय लेनदारों द्वारा समाधान किए गए मामलों, वसूली की दर तथा वसूल की गई राशि का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	मामलों की संख्या	वित्तीय लेनदारों द्वारा वसूली योग्य राशि राशि (करोड़ रुपए में)	वसूली का प्रतिशत
2017-18	18	3,807	54%
2018-19	74	1,07,321	55%
2019-20	131	39,043	27%
2020-21	119	27,102	27%
2021-22	141	46,198	24%
2022-23	186	54,125	39%
2023-24	258	44,736	28%
2024-25	259	54,604	37%
2025-26	233	42,003	20%
